मुकदमा नम्बर 04/2020

तहसीलदार रानीवाडा V/S [illegible]

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए। |
| --- | --- | --- |
| | नही हो रहा है। वर्तमान में कृषि कार्य हेतु उपयोग हो रहा है। इस कारण प्रार्थी साक्ष्य करवाना नही चाहते है अतः प्रार्थी साक्ष्य बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते अप्रार्थी साक्ष्य आयन्दा दिनांक 17/2/2022 को पेश हो। | |
| 17/2/2022 | पत्रावली पेश। प्रार्थी व अप्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी वकील साक्ष्य करवाना नही चाहते है। अतः अप्रार्थी साक्ष्य बंद की जाती है। अप्रार्थी वकील द्वारा बहस करने का निवेदन किया। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश आयन्दा दिनांक 4/3/2022 को पेश हो। | |
| 4/3/2022 | पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी व अप्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा बहस मे बताया कि अप्रार्थी द्वारा वर्तमान में विवादित आराजी मौजा रानीवा[illegible] खसरा नम्बर 2218/797 व 807 मे से रकबा 0.[illegible] हेक्टेयर आराजी पर से व्यावसायिक [illegible] नही हुआ किया है। तथा व्यावसायिक उपयोग नही हो रहा है। व वर्तमान में उक्त खसरों में कृषि-कार्य हेतु उपयोग हो रहा है। अप्रार्थी वकील द्वारा बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:41:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही अज |
|---|---|
| | उक्त भूमि पर व्यावसायिक होटल, ढाबा आदि का निर्माण नहीं किया गया था। अप्रार्थी के काश्तकार के रहने हेतु झोपड़ी बनाई गई थी। जिसको वर्तमान में हटा दी गई है। वर्तमान में सम्पूर्ण खसरों पर कृषि काश्त की जा रही है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमावें। |
| | हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रार्थी व अप्रार्थी वकील के बहस तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट व बहस में स्वीकार किया कि अप्रार्थी द्वारा वर्तमान में विवादित खसरों में व्यावसायिक उपयोग नहीं हो रहा है व कृषि-काश्त हेतु उपयोग में आ रही है तथा अप्रार्थी वकील द्वारा जवाब व बहस में व्यावसायिक उपयोग होना नहीं बताया व काश्तकार के निवास हेतु झोपड़ी बनाई गई थी। जिसको हटा दी गई व विवादित आराजी कृषि काश्त हेतु उपयोग में आ रही है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से न्यायहित में खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है। |
| | अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] नियमानुसार रिकॉर्ड में [illegible] सहित इजलास सुनाया गया। |
| | Signature Not Verified<br>Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal<br>Date: 2022.06.24 12:41:05 IST<br>Reason: SelfAttested |
| | उपखण्ड अधिकारी<br>रानीवाडा जिला-जालोर |